भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 219

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

किफायती किराया आवास परिसर योजना के अंतर्गत किफायती रूप से उपलब्धता

219 श्री संजय सिंहः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के अंतर्गत "किफायती रूप से उपलब्धता'' को परिभाषित और सुनिश्चित करने के लिए किन-किन मानदंडों का उपयोग किया गया;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआरएचसी मॉडल में किरायेदारों के लिए घरों की स्थिति निवास योग्य हो, सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन परिसरों के निवासियों को उनके निष्कासन या आवास संबंधी नुकसान होने से रोकने के लिए किस प्रकार की अधिकार संबंधी सुरक्षा प्रदान की जाएगी?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : शहरी प्रवासी/गरीबों को उनके कार्यस्थल के आस-पास नागरिक सुविधा सहित प्रतिष्ठित जीवन मुहैया कराने के लिए किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत "अफोर्डेबिलिटी" सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, लाभार्थी ऐसे शहरी प्रवासी/गरीब होंगे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईड्ब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) से संबंध रखते हों। इनमें श्रमिक, शहरी गरीब (पथ विक्रेता, रिक्शा चलाने वाले, अन्य सेवा प्रदाता इत्यादि), औद्योगिक कामगार, और बाजार/व्यापार संगठनों, शिक्षा/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी, लंबी अवधि वाले पर्यटक/आगुंतकों, विद्यार्थी या ऐसी श्रेणी के अन्य किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, इन परिसरों में प्रारंभिक किफायती किराया स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसे 5 वर्षों की अवधि के लिए औसतन अधिकतम 20% की शर्त पर दो वर्षों में 8% तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) : एआरएचसी मॉडल में किराएदारों के लिए "रहने योग्य" आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत मरम्मत/रेट्रोफिट, विकास, संचालन और अंतरण (आरडीओटी) के तहत, 25 वर्ष की अवधि के लिए एआरएचसी के रूप में सरकार से वित्तपोषित मौजूदा आवास परिसरों का उपयोग किया जाएगा। एआरएचसी के अन्तर्गत आने वाले परिसरों में अन्य सामाजिक अवसंरचना सुविधाओं सहित, जलापूर्ति, बिजली, रसोई और शौचालय की सुविधा होगी।

(ग) : हितधारकों के हितों की सुरक्षा और विवाद की स्थिति से बचने के लिए, प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एआरएचसी योजना को मौजूदा राज्य किराया कानून के दायरे से बाहर रखेंगे। किराएदारों और छूटग्राही/संस्थाओं के बीच नियमों और वि-नियमों के आधार पर बनाए गए किराए समझौते के माध्यम से एआरएचसी का संचालन किया जाएगा।

****